राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःप.4 (iv) कृ.यंत्र/2015–16/ 3821-29 दिनांकः 15/3/2016

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET)" के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (SMAM) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में "कस्टम हायरिंग केन्द्र" की स्थापना हेतु श्री महेश चन्द शर्मा, व्यवस्थापक हाँसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन, उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद धौलपुर द्वारा की गई अनुशंसा तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि उपकरणों/यंत्रों के विहित मापदण्डों के आधार पर प्रस्ताव के परीक्षण उपरान्त हाँसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत "कस्टम हायरिंग केन्द्र" की स्थापना की प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ठ "1" में वर्णित शर्तों तथा पंजीकृत सोसाइटी के नियमों/उप नियमों की पालना के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। हाँसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले "कस्टम हायरिंग केन्द्र" हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची परिशिष्ठ "2" के अनुसार होगी।

(डॉ0 नीरज कुमार पवन)
आयुक्त एवं पदेन
विशिष्ठ शासन सचिव, कृषि

क्रमांकःप.4 (iv) कृ.यंत्र/2015–16/ 3821-29 दिनांकः 15/3/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान) मुख्यालय, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0), भरतपुर।
5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद धौलपुर को उनके द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति के अन्तर्गत वर्णित शर्तों की पालना हेतु आवेदक से शपथ पत्र प्राप्त करे एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना में संस्था के स्वयं के वित्तीय संसाधन उपयोग में लिये जाने की स्थिति में परिशिष्ठ–1 में वर्णित शर्तों की पालना करावें।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/सहायक जन संपर्क अधिकारी मुख्यालय, जयपुर।
7. श्री महेश चन्द शर्मा, व्यवस्थापक हाँसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शपथ पत्र उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद धौलपुर कार्यालय को प्रस्तुत करे।
8. आरक्षी पत्रावली।

(एल. एन. कुमावत)
अतिरिक्त निदेशक, कृषि (विस्तार)

हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' हेतु निर्धारित शर्तें

i. ''हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों से की जायेगी। ''हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना हेतु परिशिष्ठ '2' में वर्णित उपकरणों/यंत्रों के क्रय के प्रमाण उपरान्त, उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद धौलपुर कार्यालय द्वारा भौतिक सत्यापन के उपरान्त, आवेदक संस्था को अनुदान राशि जो परिशिष्ठ '2' में वर्णित कृषि यंत्रों की लागत के 40% के तुल्य होगी, जारी की जाने की वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी, जो आवेदक संस्था के नाम, बैंक एफ.डी.आर. के रूप में होगी एवं सम्बन्धित उप निदेशक, कृषि (वि0) कार्यालय में सुरक्षित रहेगी। जिसे 4 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आवेदक को लौटाया जायेगा।

ii. योजनान्तर्गत क्रय किए गए ट्रेक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 10 वर्ष तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें कृषकों को प्रदान करनी आवश्यक होगी। इस हेतु आवेदक संस्था को एक शपथ पत्र देना होगा।

iii. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को विभागीय अनुमति के बिना अन्य किसी व्यक्ति/समिति/फर्म को आवेदक द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर आवेदक संस्था को विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के राजकोष में जमा करायी जानी होगी। आवेदक संस्था द्वारा शर्त की पालना न करने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक संस्था पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

iv. ''हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना हेतु क्रय की गई मशीनों/यंत्रों के शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का रख रखाव आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा।

v. ''हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' के द्वारा कम से कम 300 हैक्टेयर क्षेत्रफल प्रति सीजन में कृषकों को सुविधा प्रदान करने हेतु सक्षम होना चाहिये।

vi. ''हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे

vii. ''हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' अंतर्गत प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक संस्था द्वारा सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

viii. आवेदक संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र हेतु क्रय किये जा रहे ट्रेक्टर चलित उपकरण/यंत्र ट्रेक्टर की बी.एच.पी. के संगत (Compatible) हो साथ ही यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा प्राप्त किये गये ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक व्यक्ति द्वारा ही किया जायेगा।

ix. कृषकों के खेतों में किये गये कार्यो का विवरण "हाँसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले "कस्टम हायरिंग केन्द्र" द्वारा एक रजिस्टर में निर्धारित प्रारुप में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय–समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

x. "हाँसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले "कस्टम हायरिंग केन्द्र" की स्थापना हेतु आवदेक संस्था द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार उपकरणों/यंत्रों का क्रय किया जायेगा। आवेदक संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरणों/यंत्रों के निर्माता/डीलर उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद द्वारा उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य जिलों में पंजीकृत हो।

xi. राशि रू. 25,000 से अधिक के कृषि यंत्रों/उपकरणों हेतु भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा जारी कॉमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा तथा अन्य स्वचालित मशीन/यंत्र भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध फर्मों से ही क्रय किये जायेगे।

xii. आवेदक संस्था द्वारा केन्द्र पर रखे जाने वाले समस्त यंत्रों/उपकरणों के विस्तृत स्पेशिफिकेशन शपथ पत्र आवेदक संस्था द्वारा संलग्नक के रूप में दिया जायेगा।

xiii. आवेदक संस्था द्वारा उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

परिशिष्ठ–2

हॉसई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0, पंचायत समिति बाड़ी जिला धौलपुर के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले ''कस्टम हायरिंग केन्द्र'' हेतु अनुमोदित कृषि यंत्रों/उपकरणों की सूची

क्र.सं.	कस्टम हायरिंग केन्द्र के अन्तर्गत स्वीकृत उपकरणों /यंत्रों का विवरण	कस्टम हायरिंग केन्द्र पर स्वीकृत उपकरणों/यंत्रों की संख्या
1.	ट्रैक्टर	01
2.	मल्टीक्रोप थ्रेसर/ थ्रेसर	01
3.	रोटावेटर	01
4.	डिस्क हैरो	01
5.	कल्टीवेटर	01
6.	सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल	01